



सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 25.12.2024

#CRACKDOWN

गैंगस्टर एक्ट में वाँछित 01 हिस्ट्रीशीटर (HS NO- 27A) इनामिया (10,000/- रुपये) अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमन्चा, 04 जिन्दा कारतूस, 04 खोखा कारतूस 315 बोर एवं 01 मोटर साइकिल (जनपद मैनपुरी से चोरी) की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।
घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं हिस्ट्रीशीटर/इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 24/25.12.2024 की रात्रि को थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत केन्द्रीय कारागार महोला रोड पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान ग्राम महोला की ओर से 01 मोटर साइकिल आती दिखायी दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया तो मोटर साइकिल सवार व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर फायर करते हुये खेड़ा नहर पुल की तरफ भागने लगा जिस पर जरिये दूरभाष द्वितीय थाना मोबाइल को अवगत कराया गया। मोटर साइकिल सवार व्यक्ति द्वारा दोनों ओर से स्वयं को पुलिस टीमों से घिरता देखकर पुलिस टीम पर 03 राउन्ड फायर किये गये जिसकी 01 गोली थानाध्यक्ष वैदपुरा की बुलेट प्रुफ जैकेट में लगी एवं 01 गोली 30नि0 सुबोध सहाय के बांये हाथ में लगी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तो **01 गोली अभियुक्त पवन कुमार यादव उर्फ बन्टी के बांये पैर में लगी जिसे घायल अवस्था में महोला रोड रेलवे ओवर ब्रिज के पास से समय 04.05 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया।**

नोट:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा अभियुक्त पवन कुमार यादव उर्फ बन्टी की गिरफ्तारी हेतु मु0अ0सं0 84/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में 10,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

पुलिस पूछताछ:-

पकड़े गये अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा नाम-पता पूछते हुये उसकी तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर, 04 जिन्दा व 04 खोखा कारतूस बरामद किये गये तथा बरामद मोटर साइकिल के सम्बन्ध में जानकारी करने पर उसके द्वारा बताया गया कि यह मोटर साइकिल मैंने जनपद मैनपुरी से चोरी की है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना वैदपुरा पर मु0अ0सं0 86/2024 धारा 109 बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) एवं धारा 35/106(1) बीएनएसएस तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पवन कुमार यादव उर्फ वन्टी पुत्र श्री अर्जुन सिंह निवासी नगला देवसन थाना वैदपुरा जनपद इटावा उम्र करीब 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 86/2024 धारा 109 बीएनएस (पुलिस मुठभेड़), धारा 35/106(1) बीएनएसएस तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त पवन कुमार यादव उर्फ बन्टी (HS NO- 27A) इनामिया (10,000/- रुपये)

1. मु0अ0सं0 296/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रैण्डस कालोनी जनपद इटावा ।
2. मु0अ0सं0 327/15 धारा 392 भादवि थाना भरथना जनपद इटावा ।
3. मु0अ0सं0 45/19 धारा 392/411 आई0पी0सी0 थाना वैदपुरा जनपद इटावा ।
4. मु0अ0सं0 47/19 धारा 307/411 आई0पी0सी0 व 10/12 द0प्र0 क्षेत्र अधि0 थाना वैदपुरा जनपद इटावा ।
5. मु0अ0सं0 49/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वैदपुरा जनपद इटावा ।
6. मु0अ0सं0 59/19 धारा 2/3 गैग0 एक्ट थाना वैदपुरा जनपद इटावा ।
7. मु0अ0सं0 03/21 धारा 420/467/468/471 IPC थाना वैदपुरा जनपद इटावा ।
8. मु0अ0सं0 21/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वैदपुरा जनपद इटावा ।
9. मु0अ0सं0 70/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना वैदपुरा जनपद इटावा ।
10. मु0अ0सं0 67/24 धारा 115(2)/117(3)/352 बी0एन0एस0 थाना वैदपुरा जनपद इटावा ।
11. मु0अ0सं0 68/24 धारा 309(3) BNS थाना वैदपुरा जनपद इटावा ।
12. मु0अ0सं0 69/24 धारा 109(पुलिस मुठभेड़)BNS व धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना वैदपुरा जनपद इटावा ।
13. मु0अ0सं0 84/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 थाना वैदपुरा जनपद इटावा ।
14. मु0अ0सं0 86/24 धारा 109/106(1)/35 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वैदपुरा जनपद इटावा ।

बरामदगी:-

1. 01 तमंचा 315 बोर
2. 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
3. 04 खोखा कारतूस 315 बोर
4. 01 मोटर साइकिल (जनपद मैनपुरी से चोरी)

पुलिस टीम:- उ0नि0 श्री विपिन कुमार थानाध्यक्ष वैदपुरा, उ0नि0 सुबोध सहाय, उ0नि0 अरूण कुमार, हे0का0 आविद खाँ, का0 जॉनी कुमार, का0 अनुज कुमार, का0 चिन्टू धामा, का0 उमेश कटारा ।